केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिलली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 20.03.2017

**सीबीआई ने विमुद्रीकृत मुद्रा को बदलने के मामले की ज़ारी जाँच में डाक सेवा के निदेशक एवं वरिष्ठ डाक अधीक्षक को गिरफ्तार किया**

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक मामले की ज़ारी जाँच में डाक सेवा के निदेशक एवं वरिष्ठ डाक अधीक्षक अहमदाबाद (गुजरात) को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान डाक कार्यालय, नवरंगपुरा मुख्यालय, अहमदाबाद के डाक कर्मियों के द्वारा की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित डाक विभाग से प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409 एवं 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी) एवं (डी) के तहत तीन डाक कर्मियों व अन्य अज्ञातों के विरूद्ध दिनांक 07.03.2017 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि दिनांक 08.11.2016 को विमुद्रीकरण की तिथि घोषित हुई तथा दिनांक 09.11.2016 का दिन गैर वित्तीय दिन था। नवरंगपुरा मुख्यालय डाक कार्यालय के निरीक्षण के दौरान, ऐसा पता चला कि 6,59,800 रू. (लगभग) की राशि को दिनांक 09.11.2016 को अनाधिकृत रूप से बदला गया जैसा कि 100, 50, 20 एवं 10 रू. मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट समापन तिथि 08.11.2016 की तुलना में उक्त राशि में कमी आई। ऐसा आगे आरोप है कि नवरंगपुरा मुख्यालय, एस.एस.पी.ओ. के शहरी अनुभाग एवं शाखा में उपलब्ध उचित फार्मो की एक्सल सीट में लिखे गए विवरण में पुरानी सीरीज (डब्ल्यू.ओ.एस.) को बदलने/ निकालने की सूचना में विरोधाभाष था।

अहमदाबाद एवं इसके आस-पास 9 परिसरों में तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। निदेशक, डाक सेवा के परिसरों से तलाशी के दौरान निवास से एक लाख (लगभग) एवं कार्यालय से 1.66 लाख रू. (लगभग) के नये मुद्रा के नोट बरामद हुए।

गिरफ्तार दोनो आरोपियों को आज सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की अदालत, मीरजापुर, अहमदाबाद के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। आगे की जॉच जारी है।

**********